(92)

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. पाँच | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक I/2015 निगरानी श्योपुर निग - 4017-I-15

नारो पुत्री फून्दी जाति सहर आदिवासी निवासी
ग्राम कराहल तह. कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

..........आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

कौसा पुत्री सीताराम पत्नी गणेश जाति सहर
आदिवासी निवासी ग्राम राडेप हाल निवासी
पनवाडा तिराहा, तह.कराहल जिला श्योपुर

..........अनावेदिका / गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 15.09.2015 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कराहल म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 01/14-15/अपील माल के विरूद्व।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :– यह कि ग्राम कराहल की भूमि सर्वे नम्बर 1314/10 रकबा 0.188 हे. सर्वे कं. 1392/3 रकबा 0.157 हे., सर्वे कं. 1394/2 रकबा 0.917 हे., सर्वे कं. 1395 रकबा 0.167 हे., सर्वे कं. 1396/1 रकबा 0.596 हे., सर्वे कं. 1396/2 रकबा 0.428 हे., सर्वे कं. 1396/3 रकबा 1.157हे., सर्वे कं. 1396/4 रकबा 0.240 हे., सर्वे कं. 1397/1 रकबा 0.219हे., सर्वे कं. 1400/2 रकबा 0.596हे., सर्वे कं. 1400/3 रकबा 0.397 हे., सर्वे कं. 1400/4 रकबा 0.167हे., सर्वे कं. 1401/3 रकबा 0.021हे., कुल किता 13 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा निगरानीकर्ता के पिता फून्दी पुत्री भदई निवासी कराहल के नाम भूस्वामी स्वत्व की भूमि है जो राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में निरन्तर सम्बत 2065 तक दर्ज है। निगरानीकर्ता के पिता फून्दी फोत हो गये है। निगरानीकर्ता फून्दी की एकमात्र वारिस है। फून्दी के कोई पुत्र नहीं था, फून्दी की पत्नी नाथीबाई भी फोत हो चुकी है। वर्तमान में निगरानीकर्ता ही एकमात्र पुत्री होकर वारिस है। गैरनिगरानीकर्ता कौंसाबाई निगरानीकर्ता के पिता फून्दी से कोई सम्बंध नहीं है फिर भी गैरनिगरानीकर्ता ने भूमि हडपने के लिये मौजा पटवारी से मिलकर षडयंत्रपूर्वक चुपचाप निगरानीकर्ता को कोई सूचना दिये बिना नामान्तरण पंजी क्रमांक 02 दिनांक 01.09.2009 से फून्दी की दुसरी पुत्री कतिया की पुत्री होना बताकर 1/3 हिस्से में नामान्तरण करवालिया, जबकि कतिया नाम की कोईपुत्री फून्दी की नहीं थी। निगरानीकर्ता की एक बहन कस्तूरी थी जिसकी शादी ग्राम राडेप में रेस्पो. के पिता सीताराम के साथ हुई थी जो निःसंतान फोत हुई। सीताराम, निगरानीकर्ता के बहन कस्तूरी के फोत होने पर

क्रमंशः............2

नि० नारो

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4017-एक/15 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	